



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 11

(Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>)

15 जुलाई, 2025

मूल्य: 3.00

वार्षिक शुल्क 60रु

15 जुलाई - विश्व युवा कौशल दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं।

आईटीआई: युवाओं के भविष्य का मजबूत आधार

-नेहा दीक्षित

भूमिका:

हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि आज के युवाओं को केवल शिक्षा नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल और व्यावहारिक दक्षता की कितनी आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देश के कौशल मिशन की रीढ़ बनकर उभरे हैं। राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ITI प्रणाली को पुनः परिभाषित करते हुए इसे तकनीकी उत्कृष्टता और रोजगार से सीधे जोड़ने वाली प्रणाली के रूप में सशक्त किया है।



आईटीआई: शिक्षा से सीधे आजीविका की ओर

आईटीआई केवल तकनीकी प्रशिक्षण का केंद्र नहीं है, यह एक करियर लॉन्वपैड है जहाँ से युवा अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं।

चाहे बात हो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लंबर या सोलर तकनीशियन की - हर ट्रेड में ऐसी दक्षता सिखाई जाती है, जो युवा को आत्मनिर्भर बना सके।

आईटीआई से प्रशिक्षित युवा न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी रोजगार पा रहे हैं, क्योंकि इन ट्रेड्स की वैश्विक मांग निरंतर बढ़ रही है।

राजस्थान में ITI प्रणाली की ताकत

राजस्थान में वर्तमान में:

- 314+ से अधिक राजकीय आईटीआई
- 1393+ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- 50 से अधिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण
- NCVT, SCVT और NIMI से जुड़े प्रशिक्षण संसाधन

राज्य सरकार ने ITI को केवल एक प्रशिक्षण केंद्र न रखकर, उसे मिनी-उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

नवाचार और आधुनिकरण: बदलते आईटीआई

राजस्थान सरकार के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने आईटीआई संस्थानों में बड़े सुधारों की शुरुआत की है:

- ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (DST):

विद्यार्थी अब एक भाग संस्थान में और दूसरा भाग इंडस्ट्री में प्रशिक्षण लेते हैं।

- इंडस्ट्री-पार्टनरशिप मॉडल:

BOSCH, Maruti Suzuki, Hero, Schneider जैसी कंपनियों से साझेदारी कर आईटीआई में सीधा इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जा रहा है।

- डिजिटलीकरण:

स्मार्ट क्लासरूम, CBT (Computer Based Test), NIMI स्मार्ट ऐप, ई-लर्निंग मॉड्यूल के जरिए प्रशिक्षण को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाया गया है।

- ग्रीन ITI पहल:

EV मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, जैसे कोर्सेज शुरू कर युवाओं को ग्रीन जॉब्स की दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

आईटीआई से रोजगार की सीधी राह

एक आईटीआई प्रशिक्षु के लिए रोजगार के कई रास्ते खुलते हैं:

1. सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियाँ (Railways, Defence, PSU)
2. निजी कंपनियों में तकनीकी पदों पर नियुक्ति
3. विदेशों में तकनीकी श्रमिक के रूप में उच्च आय के अवसर
4. स्वरोजगार – जैसे मोटर गैराज, इलेक्ट्रिकल शॉप, AC रिपेयरिंग सेंटर आदि
5. स्टार्टअप – आईटीआई पास आउट युवा उद्यमिता में भी आगे आ रहे हैं

भविष्य की दिशा: ITI का विकास ही युवा भारत का विकास

राजस्थान सरकार और DSEE द्वारा तैयार "ITI Excellence Vision" के तहत:

- ITI को 'Centers of Excellence' के रूप में उन्नत किया जाएगा
- AI, IoT, EV और Robotics जैसे Future Skills को ट्रेड्स में जोड़ा जाएगा
- हर जिले में कम से कम एक Model ITI की स्थापना
- इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच सीधा संवाद मंच (Industry Connect Cell)
- प्लेसमेंट फेयर, अप्रेंटिसशिप और उद्यमिता को बढ़ावा

निष्कर्ष:

ITI आज केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक सफलता की मजबूत बुनियाद है। यहां से निकलने वाला युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि कौशल और कर्तव्यनिष्ठा से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने वाला नागरिक है।

विश्व युवा कौशल दिवस पर हमें यह स्वीकार करना होगा कि अगर डिग्री विकास की राह है, तो कौशल उसका इंजन है। और ITI – इस इंजन को चालू करने का सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म है।

संदेश:

"ITI से सीधा रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता – यही है स्किल इंडिया का असली उद्देश्य!"

हुनर है तो मुकाम है: नई पीढ़ी के लिए कौशल की नई परिभाषा

परिचय:

विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) का दिन युवाओं को कौशल विकास के महत्व को समझाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते विश्व में, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए श्रम कौशल, नियोजन, वित्तीय साक्षरता, और उद्यमिता के चार स्तंभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

आज का युवा स्मार्ट है, तेज है और महत्वाकांक्षी भी। वो केवल पढ़ाई करके नौकरी नहीं ढूँढना चाहता, बल्कि खुद की राह बनाना चाहता है। और इस राह का सबसे मजबूत जरिया है “कौशल”।

कौशल (Skill) अब सिर्फ टूल्स चलाना या मशीन ऑपरेट करना नहीं है – यह सोचने, सीखने और समाधान देने की कला है। नई पीढ़ी के लिए डिग्री के साथ स्किल होना, अब केवल जरूरत नहीं, फ्यूचर की करेंसी बन चुका है।

**क्यों जरूरी है स्किल्स नई पीढ़ी के लिए?**

- क्योंकि अब मार्कशीट से ज्यादा मायने “प्रेक्टिकल नॉलेज” का है।
- क्योंकि कंपनियों को चाहिए काम करने वाला, सिर्फ किताबें पढ़ने वाला नहीं।
- क्योंकि अब जॉब बदलती है, लेकिन स्किल हमेशा साथ रहता है।
- और सबसे बड़ा कारण – कौशल आत्मनिर्भरता की कुंजी है।

Gen Z के लिए कौन से स्किल्स सबसे जरूरी हैं?

आज के युग में कौशल का मतलब है –

- **Digital Skills:** AI, Data Analytics, Coding, Cyber Security
- **Communication & Soft Skills:** Presentation, Leadership, Teamwork
- **Green Skills:** EV Mechanic, Solar Technician, Waste Management
- **Creative Skills:** Graphic Designing, Content Creation, Video Editing
- **Entrepreneurial Skills:** बिजनेस कैसे शुरू करें, स्टार्टअप कैसे चलाएं

कौशल और युवा: आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत

जब एक युवा स्किल सीखता है, वो सिर्फ नौकरी पाने लायक नहीं बनता, वो समाज और देश के लिए मूल्य निर्माण (Value Creation) करता है।

आज कई युवा अपने स्किल्स से:

- खुद का बिजनेस चला रहे हैं
- ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैसा कमा रहे हैं
- गाँव में रहकर भी ग्लोबल काम कर रहे हैं

राजस्थान सरकार की पहल: हर युवा तक कौशल

राजस्थान में कौशल विकास को एक जनांदोलन की तरह बढ़ाया गया है।

राज्य सरकार की योजनाएं जैसे:

- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
- मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल योजना
- PMKVY, DDU-GKY जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम

इन सभी का मकसद है—

“हर युवा तक हुनर, हर हुनर को पहचान, और हर पहचान को रोजगार से जोड़ना।”

आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिजिटल प्लेटफॉर्म: नए युग के स्किल हब

आज आईटीआई केवल औजार सिखाने की जगह नहीं रही—

यह Digital Trades, EV Mechanic, CNC Machine, 3D Printing, Solar Skills जैसी नई दुनिया की तैयारी कर रही है।

साथ ही YouTube, Coursera, Skill India Portal, RSLDC e-portal जैसे माध्यमों से आज का युवा घर बैठे भी सीख रहा है और कमाई कर रहा है।

नई पीढ़ी का नया नारा होना चाहिए:

“सीखो, सोचो और सृजन करो।”

क्योंकि दुनिया में वही टिकेगा —

जो स्किल्ड है, स्मार्ट है और खुद पर विश्वास रखता है।

निष्कर्ष:

कौशल वह शक्ति है जो एक साधारण युवा को असाधारण बना देती है।

यह किसी जमाने की सेकेंडरी चीज नहीं,

बल्कि आज की प्राथमिक जरूरत है।

विश्व युवा कौशल दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि—

“हर युवा का सपना, हुनर से साकार हो।

हर हाथ में हुनर हो, और हर कदम में आत्मबल।”

स्किलिंग + मेंटल हेल्थ: समावेशी और संवेदनशील कौशल विकास की दिशा

प्रस्तावना:

21वीं सदी की तेज रफ्तार दुनिया में जब युवाओं से उम्मीदें और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ रही हैं, तब कौशल विकास (Skilling) केवल तकनीकी ज्ञान या रोजगार का जरिया नहीं रह गया है। आज यह एक व्यापक सामाजिक और मानसिक अनुभव बन चुका है — जिसमें शामिल है आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, भावनात्मक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य।

World Youth Skills Day के अवसर पर यह जरूरी हो जाता है कि हम स्किलिंग की प्रक्रिया को केवल “हुनर सिखाना” न मानें, बल्कि इसे समावेशी, संवेदनशील और मानसिक रूप से सहयोगी प्रक्रिया के रूप में देखें।



क्यों जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना?

भारत के युवाओं में मेंटल हेल्थ के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं —

- अत्यधिक अपेक्षाएं
- प्लेसमेंट का दबाव
- ट्रेनिंग में असफलता का डर
- सामाजिक तुलना
- आत्मसम्मान की चुनौती

एक रिपोर्ट के अनुसार, 15-29 वर्ष के युवाओं में मेंटल डिस्ट्रेस के मामले चिंताजनक हैं। यह तब और गंभीर हो जाता है जब एक युवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है और अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कौशल प्रशिक्षण के साथ ढोता है।

- ऐसे में, यदि स्किलिंग मॉडल मानसिक रूप से सहयोगी न हो, तो हुनर अधूरा रह जाता है।

स्किलिंग + मेंटल हेल्थ: कैसे जुड़ते हैं ये दोनों पहलू?

स्किलिंग पक्ष

- नई चीज सीखना
- जॉब की उम्मीद
- साथियों से तुलना
- बार-बार असफलता
- इंडस्ट्री में बदलाव

मेंटल इफेक्ट

- आत्मविश्वास बढ़ना या कम होना
- प्लेसमेंट का तनाव
- आत्म-मूल्यांकन की कमी
- निराशा, हताशा, आत्मग्लानि
- भविष्य को लेकर अनिश्चितता

इसलिए स्किलिंग को अब केवल “हुनर सिखाने” से आगे जाकर, व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति को पोषित करने की प्रक्रिया बनाना होगा।

मौजूदा स्थिति: स्किलिंग में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका कितनी है?

आज अधिकतर स्किलिंग प्रोग्राम का फोकस ट्रेड और टेक्निकल ट्रेनिंग पर होता है, जबकि मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम लगभग गायब है:

- ट्रेनिंग संस्थानों में काउंसलिंग कम
- प्लेसमेंट से पहले कोई “Emotional Readiness Module” नहीं
- ट्रेनिंग में प्रशिक्षकों को “सहानुभूति आधारित शिक्षा” का प्रशिक्षण नहीं
- असफलता को संभालने की स्किल नहीं सिखाई जाती

समाधान: कैसे बनाएं स्किलिंग को मानसिक रूप से सहयोगी?

1. सॉफ्ट स्किल्स + लाइफ स्किल्स का समावेश
 - ट्रेनिंग मॉड्यूल में “Resilience, Communication, Decision-making, Self-Awareness” जैसी स्किल्स को अनिवार्य किया जाए।
2. मेंटल हेल्थ सेशन और काउंसलिंग
 - हर ट्रेनिंग सेंटर में कम से कम एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हो
 - हर बैच के लिए मासिक “Talk It Out” Circle
3. Emotional First Aid Kit
 - जैसे फिजिकल फर्स्ट एड होती है, वैसी ही “Emotional First Aid Kit” — जिसमें मोटिवेशनल कार्ड्स, सेल्फ-टेस्ट, हेल्पलाइन नंबर आदि हों
4. ट्रेनर्स को मानसिक स्वास्थ्य की बेसिक ट्रेनिंग
 - हर ITI/SDC में प्रशिक्षकों को “मनो-संवेदनशीलता” की ट्रेनिंग देना
 - ट्रेनिंग की भाषा, व्यवहार और आकलन प्रणाली को ज्यादा सहयोगी बनाना
5. प्लेसमेंट के बाद भी सहयोग
 - प्लेसमेंट पाने वाले युवाओं से 3-6 माह तक फॉलोअप लेना
 - यदि नौकरी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो उन्हें गाइड करना

‘Skilling with Care’ मॉडल: राजस्थान के लिए प्रस्तावित दिशा

राजस्थान सरकार ने स्किलिंग को जनांदोलन के रूप में देखा है, अब समय है कि इसे “Skilling with Care” की दिशा में बढ़ाया जाए:

- हर Skill Center में Mental Wellness की ट्रेनिंग
- “Talk to Someone” डिजिटल कोना
- “हुनर + हिम्मत” थीम पर बेस्ड कम्युनिकेशन
- DSEE और स्वास्थ्य विभाग की साझेदारी

भविष्य की रूपरेखा: स्किलिंग को इंसानी बनाएँ

1. स्वास्थ्य विभाग से साझेदारी कर ITI में काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएं
2. डिजिटल हेल्थ चैटबॉट्स – युवा बिना नाम बताए सवाल पूछ सकें
3. सफलता की कहानियाँ + संघर्ष की कहानियाँ एकसाथ दिखें
4. “Skilling is Caring” मिशन का आगाज

निष्कर्ष:

आज जब हम स्किलिंग को आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया मानते हैं, तब यह जरूरी है कि हम उसे भावनात्मक सशक्तिकरण से भी जोड़ें।

एक युवा सिर्फ हाथों से काम नहीं करता –

- वो अपने दिल, दिमाग और आत्मबल से भी राष्ट्र निर्माण करता है।

इसलिए स्किलिंग को जब तक हम संवेदनशील, सहयोगी और समावेशी नहीं बनाएँगे, तब तक उसका असर अधूरा रहेगा।

विश्व युवा कौशल दिवस 2025 पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए –

“हर स्किल सेंटर में हो सपोर्ट सेंटर।

हर प्रशिक्षु के हुनर के साथ हो उसकी हिम्मत की भी देखभाल।”

मुख्य संदेश:

“हुनर सिखाइए, लेकिन हौसला बनाइए – तभी बनेगा सशक्त और संवेदनशील भारत।”

रोजगार मेले: युवाओं के लिए अवसरों का सेतु

परिचय:

वर्तमान समय में जब देश युवा ऊर्जा से परिपूर्ण है, तब रोजगार मेलों की भूमिका केवल नौकरी दिलाने तक सीमित नहीं रह गई है। ये मेले आज युवाओं को उद्योगों से जोड़ने, उनकी क्षमताओं को पहचान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाने का माध्यम बन गए हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस दिशा में कार्य कर रही हैं कि “हर हाथ को काम और हर युवा को सम्मान” मिले। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास करते हुए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और संस्थागत स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर लाखों युवाओं को नवीन अवसरों से जोड़ा है।

**रोजगार मेला: क्या, क्यों और कैसे?**

रोजगार मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के नियोक्ता विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती करते हैं। इसमें आईटी,

हेल्थकेयर, निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, कृषि, MSME और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भाग लेती हैं।

यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सरकार, उद्योग और युवा के बीच एक जीवंत संवाद है।

राजस्थान में रोजगार मेलों की भूमिका

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों में अब तक:

- लाखों युवा उम्मीदवारों ने भाग लिया है
- हजारों युवाओं को ऑन-द-स्पॉट जॉब ऑफर मिले हैं
- कौशल सलाह, करियर गाइडेंस, ट्रेनिंग की जानकारी और स्टार्टअप सपोर्ट जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं

राजस्थान सरकार का विजन स्पष्ट है –

“कौशल + अवसर = आत्मनिर्भर युवा”

युवाओं के लिए लाभ

1. प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अवसर
बिना किसी बिचौलिए के, युवा सीधे कंपनी प्रतिनिधियों से संवाद करते हैं।
2. करियर मार्गदर्शन और परामर्श
रोजगार मेलों में करियर विशेषज्ञ युवाओं को उनकी शिक्षा, रुचि और स्किल के आधार पर सही दिशा दिखाते हैं।
3. स्किल ट्रेनिंग की जानकारी
कई संस्थाएं onsite ही ITI, RSLDC और अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देती हैं।
4. स्वरोजगार प्रेरणा
स्टार्टअप, कृषि उद्यमिता और MSMEs से जुड़े स्टॉल युवाओं को रोजगार के बजाय उद्यमी बनने की प्रेरणा देते हैं।

नियोक्ताओं के लिए लाभ

1. स्थानीय प्रतिभा की उपलब्धता
कंपनियों को अपने जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित और स्थानीय युवा मिलते हैं।
2. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR)
रोजगार मेले से कंपनियों को सामाजिक सहभागिता का अवसर मिलता है।
3. सरकार से साझेदारी

कंपनियां विभाग के साथ मिलकर इंडस्ट्री-कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल भी विकसित करती हैं।

डिजिटल युग और रोजगार मेले

अब रोजगार मेले सिर्फ मैदान या भवनों तक सीमित नहीं हैं। राजस्थान में कई जिलों ने e-Rozgar Melas, WhatsApp Interview Roundness, और AI-based job matching portal जैसे नवाचार अपनाए हैं।

EEMS Job Portal, और Skill Connect Platforms के माध्यम से अब युवा घर बैठे पंजीकरण, इंटरव्यू और नियुक्ति जैसी सुविधाएं पा रहे हैं।

भविष्य की दिशा: रोजगार मेलों का नवाचार

राज्य सरकार और विभाग की योजना है कि:

- हर जिले में साल में 2-3 बड़े रोजगार मेले सुनिश्चित किए जाएं
- प्रत्येक ITI और कॉलेज स्तर पर मिनी जॉब फेयर (Campus placement) आयोजित किए जाएं
- विशेष रोजगार मेले – जैसे महिला रोजगार मेला, दिव्यांगजन मेला, शुरू किए जाएं
- इंडस्ट्री-क्लस्टर आधारित रोजगार मेलों से स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार ट्रेनिंग व भर्ती सुनिश्चित हो

निष्कर्ष:

रोजगार मेला केवल एक अवसर नहीं है, यह एक आशा का मंच है – जहाँ युवाओं को न सिर्फ नौकरी, बल्कि एक दिशा, एक पहचान और एक सम्मान मिलता है।

संदेश:

“हर युवा को अवसर मिले, हर हुनर को पहचान – यही है रोजगार मेला का संकल्प!”

लेखिका RSLDC में पीआर और आईसीसी सलाहकार के पद पर कार्यरत है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

- राज्य के बेरोजगार युवाओं को employable बनाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी, 2019 से प्रदेश में लागू की गई। जिसके अन्तर्गत पुरुष बेरोजगारों को 4000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये जा रहें हैं। योजना के तहत तकनीकी योग्यताधारी आशार्थियों को विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घण्टें इन्टर्नशिप करवाई जा रही है एवं गैर-तकनीकी योग्यताधारी आशार्थियों को राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- जिला रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थियों की संख्या - 18,40,530
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से दिनांक 30.06.2025 तक योजनान्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन- 14,00,865
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से माह जून 2025 तक कुल लाभांशित - 8,37,748
- कुल वेरिफाई आवेदनों की संख्या - 45,314
- अस्वीकृत आवेदन - 69,751
- योजनान्तर्गत वर्तमान में लाभांशित हो रहे आशार्थियों की संख्या - 1,95,120
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से माह जून 2025 तक कुल वितरित की गई राशि - 3216.70 करोड़ रुपये
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर 2023 से माह जून 2025 तक कुल वितरित की गई राशि- 728.06 करोड़ रुपये
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून, 2025 तक कुल 49.94 करोड़ रुपये वास्तविक व्यय।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित बजट- 850.18 करोड़

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के अन्तर्गत 01 जनवरी 2022 से निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं-

भत्ता राशि:

- पुरुष आशार्थी-4000 रुपये
- महिला, दिव्यांगजन व ट्रांसजेण्डर हेतु 4500 रुपये प्रतिमाह।

अधिकतम लाभांशितों की सीमा:

- एक वर्ष में अधिकतम 2,00,000 तक

पात्रता:

- प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय; द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।

आयु सीमा:

- अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए, 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) ट्रांसजेण्डर आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष।
- ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो।
- स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना चाहिये।
- एक परिवार में अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
- जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों।

कौशल प्रशिक्षण:

- राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित किसी भी तकनीकी पाठ्यक्रम में अधिकतम तीन माह का प्रशिक्षण
- कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा**
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि न्यूनतम 3 माह (90 दिवस) अनिवार्य होगी
- यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो **कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।**
- वेरिफाईड आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का **सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

इन्टर्नशिप -

- इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में **प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं** प्रदान कर की जायेगी।
- बेरोजगारी भत्ता के स्वीकृत आवेदक को **इन्टर्नशिप करना अनिवार्य**
- प्रतिमाह **इन्टर्नशिप का उपस्थिति प्रमाण पत्र** अपलोड करने पर ही बेरोजगारी भत्ता बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा।
- स्वरोजगार प्राप्त करने के इच्छुक आशार्थियों** द्वारा किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से ऋण प्राप्त करने पर अनुदान के रूप में ब्याज आधारित अनुदान एक वर्ष में प्राप्त होने वाले भत्ते अथवा ब्याज राशि का 10 प्रतिशत जो कम हो दिया जायेगा। **ब्याज अनुदान अधिकतम 2 वर्षों तक देय होगा।**

आवेदन प्रक्रिया:

- बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने कि लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहाँ वह पंजीकृत है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड करने होंगे-
 - विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण-पत्र।
 - प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण-पत्र/अंकतालिका।
 - स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री।
 - प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।
 - प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure-1 (तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित Annexure-K प्रमाण-पत्र।
 - अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र।
 - कौशल प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रमाण-पत्र।
 - हिन्दी में स्वघोषणा पत्र।
- प्रार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की अवधि में किसी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होता है तो उसी माह में उपस्थित होकर लिखित अथवा रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना न देकर भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय माना जायेगा।
- योजना में चयनित प्रार्थी को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाता खुलवाना होगा जिसका पूर्ण ब्यौरा प्रार्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित करेगा।
- प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ ई-साइन कर अपलोड करना होगा।
- यदि कोई प्रार्थी किसी भी प्रकार के गलत तथ्य/सूचना देता है तो उसके विरुद्ध पुलिस में जिला रोजगार अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर दर्ज करवाई जायेगी।
- बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से Login कर विभागीय पोर्टल Employment Exhange Management System (EEMS) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.employment.rajasthan.gov पर उपलब्ध है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: प.14(150)RSSB/अर्थना/जन.स्वा.अभि.वि./प्रयोग.परिचायक/ भर्ती/2024/

दिनांक : 09/07/2025

विज्ञापन सं. 04/2025

प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती-2025

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार के लिये राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम 1967, यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत प्रयोगशाला परिचायक के कुल 54 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 6) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्याधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार	राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम 1967	प्रयोगशाला परिचायक	48	6	54

विशेष नोट :-

(i) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- आवेदन प्रक्रिया :-**बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
 - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो Capture कर आवेदन को Submit किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिह्न (visible body mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-
 - आधार कार्ड आधारित सत्यापन:-
 - यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा: - अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।
 - यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेंगे :-
 - मूल प्रमाण पत्र विकल्प:-** अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
 - डिजिटल कर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :-** अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेंगे।
 - यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:-“मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/होऊँगी”।
- उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।
 - अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

- अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

- एकबारीय पंजीयन शुल्क:-**कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।
 - सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -**रुपये 600/-**
 - राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -**रुपये 400/-**
 - समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु -**रुपये 400/-**
- नोट:-
- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।
 - कार्मिक विभाग (क-2) द्वारा परिपत्र क्रमांक-प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा अर्थात् एकबारीय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबन्धित होने पर पैनल्टी शुल्क 750/- रुपये देकर अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती-परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पैनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/- रुपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

- प्रयोगशाला परिचायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-**

(क)गैर अनुसूचित क्षेत्र-

कुल पद	सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अति पिछड़ा वर्ग					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					बारा जिले की सहरिया आदिम जाति				
	सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा		सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा		सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा		सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा		सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा		सामान्य	सामान्य महिला	बिवा	परिवारवा						
48	17	5	2	0		3	1	0	0		5	1	0	0		6	2	0	0		2	0	0	0		3	1	0	0		0	0	0	0	

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLD & Autism	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	

(ख)अनुसूचित क्षेत्र-

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्रक्ता
6	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)						
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक		
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLD & Autism	GEN	SC	ST
1	0	0	0	0	0	0

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिकितयों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र का प्राथमिकता क्रम प्रस्तुत करना होगा। प्राथमिकता प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की प्रथम प्राथमिकता कम अनुसूचित क्षेत्र एवं द्वितीय प्राथमिकता कम गैर अनुसूचित क्षेत्र माना जाकर उक्त पदों के एवज में चयनित माना जावेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
- बोर्ड द्वारा संबंधित विभाग से रोस्टर के अनुसार प्राप्त अर्थना के आधार पर पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण जारी किया गया है।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विशेष प्रावधान/सूचना:-

- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिकितयों को अधिकतम पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिकितयां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिकितयों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिकितयों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिकितयां पश्चात्‌वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिकितयों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक हैं, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:- विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा।
पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिकितयों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिकितयों आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिकित पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक/अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**
- राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- बारं जिले की सहरिया आदिम जाति** के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारं जिले में सहरिया जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-**
(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र “अच्छा” श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको के लिये रिकितयों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिकितयां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिकितयों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिकितयां व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार “भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

- ‘कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।”

- “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”;

- भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।

- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिकितयों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिकितयां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/वचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

- उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाडियों की पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिकितयों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिकित पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान:-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार ‘उत्कृष्ट खिलाड़ी’ से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने:-

- उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

क्र.सं. 01	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 02	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम 03
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद(एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

05. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/ पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट:— कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। **उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र/मिसमेच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**

14. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत निम्न लिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है :-
 - B/LV (Blindness/ Low vision)
 - HI(Hearing Impairment)
 - LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
 - Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
 - Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities
- दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तःपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र/मिसमेच दिव्यांग प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**
- ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समूहित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एन-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही आनलाईन आवेदन भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में सही प्रविष्टि करें।
नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान पैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।
- वेतनमान:-**राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार **प्रयोगशाला परिचायक** पद हेतु **पे मैट्रिक्स लेवल 1** देय है।

परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।
- देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,—

- मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
- साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
- लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट:-

- इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी योग्यता पर दर्स्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो सैकण्डरी की अंकतालिका या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा।** अस्पष्ट एवं टैडे-मेड्रे, **Blank** एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाईन **WebTools** का प्रयोग कर **SRink** किये गये, अस्पष्ट दर्स्तावेज मान्य नहीं किये जाऐंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र/ डिबार घोषित किया जा सकता है।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक के कॉलम में रोलनम्बर के स्थान पर ‘**Not Applicable**’ एवं परिणाम में **Grade** का चयन कर ‘**N**’ **Grade** अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

अन्य योग्यताएँ :-

- स्वास्थ्य-** उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया/तंजानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
परन्तु शर्त यह है कि बिन्दु संख्या 7(1) में उल्लिखित वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।
ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, बोर्ड या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यक्षीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।
- अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें-**इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

8. आयु:-

आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः आवेदकों की आयु की गणना 01.01.2026 से की जायेगी। परन्तु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”
स्पष्टीकरण:- प्रयोगशाला परिचायक **के पदों** पर पूर्व में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। अतः समस्त आवेदकों को अधिकतम 03 वर्ष की छूट देय होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

- आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुवत् कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
- एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
- इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समझ आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार न्वर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
- विभाग के लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में इन नियमों के अधीन उनके लिये आरक्षित श्रेणी व पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- आयोग के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी बशर्त कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमत छटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित मध्यमों की सम्पर्क रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।
- बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगान्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा।
- पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगान्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशनड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशनड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समझ उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में चतुर्थ श्रेणी या अधीनस्थ सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में ऊपर वर्णित ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- विधवाओं और विवाह-विधिन् महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विधिन् महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी।
स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी। अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:-

- कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक र्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम 1987, यथा संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 15 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (घ) राजस्थान सेवा के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिये नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. पेंशन:-

नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।

10. विवाह पंजीयन:-

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 11.07.2025 से दिनांक 09.08.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2025 से दिनांक 09.08.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. परीक्षा आयोजन :-

1. बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला परिचायक के उल्ट पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक पृथक से सूचित की जायेगी। उक्त पदों की भर्ती हेतु ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है।
2. बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
13. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSC ID ध्यान में रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
- i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या नें, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है।
- ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने उत्पन्न हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार उत्पन्न हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- iii. किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से उत्पन्न हुई हो और निशक्त्ता से ग्रस्त हो।
- iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- v. इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताता) करने, या काट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करे:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की किमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर एवं नॉन किमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:-

- 1- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- 2- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 3- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- 4- किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- 5- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- 6- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7- अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8- लाइव फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

लाइव फोटो करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- b. आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो Capture कर आवेदन को Submit किया जाना आवश्यक है।
- c. लाइव फोटो के लिये 5 सेकण्ड के Timer के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक दो-तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बन्द आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
- d. फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैचर ना हो।
- e. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि (Enlightened Background) के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय (Blurred/Dark) नहीं है।
- f. जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैचर कर सकते हैं परन्तु एक बार Final Submit किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।
- g. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- h. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- i. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- j. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- k. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- m. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय लाईव फोटो से फोटो एडिटर एप्प से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- 9- हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
- a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
- i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

- 1- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। बिना साक्ष्य/दस्तावेजों के भेजी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
- 2- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- 3- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- 4- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहाँ मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्युलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- 5- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का इस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जो कि समय समय पर अपडेट किया जाता है।
- 6- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई

ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिति एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेंच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिति एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने है तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। आवेदक निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिति, लिंग के अलावा शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविशिष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिये One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एकबारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेंवें। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक

योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार संशोधन की अनुमति दी गयी है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व, 07 दिवस हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी **उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है** यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। फोटो, हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा। **परीक्षा आयोजन के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।**

- iii. इसके पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

- iv. **विधवा श्रेणी के अभ्यर्थी:**—ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मय 300/- रुपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा होती है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

18. ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

19. श्रुत लेखन की सुविधा:—सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंशिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी। साथ ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी श्रुतलेखक के लिए दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरें।
- अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।

- आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-

“यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”

- जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा, परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

- किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ110/आ.क. व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित सलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

- विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- xiv.परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- xv. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।
- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम दस वर्ष के कारावास जो कि आजीवन तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. प्रयोगशाला परिचायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

परीक्षा की स्कीम			
क्र.सं.	विषय	प्रश्न-120	समय
		प्रस्तावित प्रश्न संख्या	
1	सामान्य हिन्दी	20	2 घंटे
2	सामान्य अंग्रेजी	15	
3	सामान्य ज्ञान :-	70	
	राजस्थान का भूगोल	20	
	राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति	20	
	भारतीय संविधान (5) एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (5)	10	
	सामान्य विज्ञान	05	
	सम-सामयिक घटनाएँ (भारत-6, राजस्थान-6)	10	
	बेसिक कम्प्यूटर	05	
4	सामान्य गणित	15	
कुल		120	

- Pattern of Question Papers:**
- Objective Type Question Paper.
 - Maximum Marks: 200
 - Number of Questions: 120
 - Duration of Paper: Two Hours.
 - All Questions carry equal marks.
 - Negative Marking1/3 mark will be deducted for each wrong answer.
 - The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan.

पाठ्यक्रम		
क्र.सं.	विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या
1.	सामान्य हिन्दी-20 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि- अर्थ, प्रकार एवं संधि-विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द- शुद्धि, वाक्य शुद्धि (वर्तनी सम्बन्धित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से सम्बन्धित अशुद्धियों), काल के प्रकार (भेद), मुहावरे एवं लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान (यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्द्धशासकीय पत्र इत्यादि)।	
	General English-15 Tenses / Sequence of Tenses, Voice : Active and Passive, Narration : Direct and Indirect, Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and Vice-Versa, Correction of sentences, words wrongly used, Use of articles and determiners, prepositions, punctuation, Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and Vice-Versa, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).	
3.	राजस्थान का भूगोल-20 राजस्थान:- स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या- आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। Geography of Rajasthan Rajasthan- location, extent, physiography and physical division, soil, natural vegetation and forest conservation, climate, water resource, drainage system and lakes, major irrigation projects, population- size, growth, distribution, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan & state roads, Disaster Management & Climate Change etc.	

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति-20 ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आन्दोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि।	
History, Art and Culture of Rajasthan Main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, costumes, musical instruments, folk deities, folk literature, dialects, fair & festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist places and monuments, celebrities of Rajasthan from historical and cultural point of view etc.	
भारतीय संविधान (5) एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (5) -10 संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राजस्थान राज्य शासन एवं राजनीति : राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा: मुख्य सचिव, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन), जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि।	
Indian Constitution and political and administrative system of Rajasthan. Introduction and basic features of the constitution, state governance and politics - governor, chief minister and cabinet, legislative assembly and judiciary, administrative structure of the state: chief secretary, district administration (general administration and police administration), judicial structure at the district level, right to information act etc.	
सामान्य विज्ञान-05 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर : संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन	
General Science Physical and chemical changes, Metals, non-metals and major compounds, Reflection and laws of light, General terminology related to genetics, Human body: structure, organ systems, Major human diseases, causes and diagnosis, waste management.	
प्रमुख सम-सामयिक घटनाएँ (भारत-5, राजस्थान-5)-10 खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधी मुद्दे इत्यादि। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि।	
Major current events Issues related to sports, politics, economy, social, geographical, cultural, ecological and technical fields etc, Rajasthan State & National issues, Famous personalities, Rajasthan state & national program and policy etc.	
कंप्यूटर-05 कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन - हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर - ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि।कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन-एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि।	
Computer Overview of computer system- hardware devices, software - operating system and application software etc . Overview of office applications - MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, E-mail etc.	
4.	गणित-15 महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात-समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आँकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि।
	Maths Hcm&Lcm, average, profit-loss, percentage, simple interest, compound interest, ratio-proportion, partnership, time and work, time, speed and distance, representation of data through pictures etc.

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

- प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प **A, B, C, D, E.** अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।
Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।
It is mandatory to fill only one of the options for each question.
- यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प **E** को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।
If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkend, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नो को किन्ही पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।
A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.
- अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक (ओएमआर) की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाये उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
Candidate are advised to keep the carbon copy of the OMR sheet safely in their custody til completion of the final result declaration process and produce before the Board whenever asked for. I case of noncompliance action can be initiated against the candidate.

23. बोर्ड की वेबसाइट:-अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा। अभ्यर्थी बोर्ड की भर्तियों से संबंधित अपनी परिवेदना/प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल आई. डी. PG.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN पर प्रेषित करावें।

सफलता की कहानी (SUCCESS STORY)

Candidate Details

- Name of candidate: BASANT PUROHIT
- Date of Birth of candidate: 10-Feb-2002
- Address: NATHANIYO KI SARAY, Rango ki Gali No-2, BIKANER.



Success Story Description

बीकानेर निवासी बसन्त पुरोहित एम. कॉम. करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे थे परन्तु इनके पिताजी श्री महेश कुमार पुरोहित एक टैक्सी ड्राइवर हैं और उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी पुस्तकें खरीदने और कोई लाइब्रेरी या कोचिंग क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे थे। अपने 05 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण कर रहे बसन्त पुरोहित के पिताजी को मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के बारे में ज्ञात हुआ और इन्होंने रोजगार कार्यालय में सम्पर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त की और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु इस योजना में अपने पुत्र का आवेदन करवाया। आवेदन अप्रुवल होने पर रोजगार कार्यालय, बीकानेर द्वारा इन्हें इंटरनशिप हेतु विद्यालय में कार्य करने हेतु भेजा गया। वहां के कार्मिकों के बीच अच्छा और सरकारी सेवा में आने का प्रेरक वातावरण मिला। 19 माह तक इस योजनान्तर्गत 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर वर्ष 2024 में हाई-कोर्ट कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दी और प्रथम बार में ही चयनित हो गये। वर्तमान में ये चूरू जिले में पदस्थापित है और रोजगार विभाग तथा राजस्थान सरकार की योजना को युवाओं के लिए सम्बल प्रदान करने वाली योजना बताते हैं।

सक्सेस स्टोरी

नाम: फौरन्ता सैनी

पति का नाम: गिराज प्रसाद सैनी

निवासी गांव कबलेश्वर पोस्ट कबलेश्वर

जिला दौसा



मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान सरकार के सहयोग से बदली सफलता की कहानी

मैं फौरन्ता सैनी पत्नी श्री गिराज प्रसाद सैनी निवासी गांव कबलेश्वर, पोस्ट कबलेश्वर, जिला दौसा की निवासी हूँ। मैंने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का लाभ लिया उस समय जब मुझे इसकी अति आवश्यकता थी इस योजना से मुझे आर्थिक सहयोग जिसमें प्रतिमाह 4500 रुपए का लाभ मिला जिससे कि मैंने बाहर रहकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व कोचिंग करने की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई तथा मैंने मेहनत करके आज मैं राजस्थान सरकार में आगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाए दे रही हूँ।

अतः मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इस योजना का लाभ देकर सम्बल प्रदान किया यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ इस योजना को सुचारु रूप से चालू रखे और युवाओं को सम्बल देती रहे जिससे बेरोजगार युवाओं की सरकार के प्रति सत्यनिष्ठा बनी रहे

मैं फिर से राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट व धन्यवाद देती हूँ।

उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, बीकानेर

रोजगार सहायता शिविर में रोजगार हेतु चयनित अभ्यर्थी की

सफलता की कहानी (SUCCESS STORY)



प्रखर मुंजाल

Success Story Description

रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थी प्रखर मुंजाल को स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि दिनांक 27 मार्च 2025 को उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, बीकानेर द्वारा एक रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। वे प्रातः 09:30 बजे ही शिविर स्थल पर पहुंच गये और जानकारी ली कि शिविर में कौन कौनसे संस्थान की स्टॉल लगाई गई है। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार कुछ संस्थानों में आवेदन किया और साक्षात्कार दिया। इस शिविर में उनका चयन दो-तीन संस्थानों द्वारा किया गया। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट, बीकानेर में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यग्रहण करने का निर्णय लिया। इंस्टीट्यूट द्वारा वर्तमान में उन्हें 6 लाख 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष के वेतन पर रखा गया है।

प्रखर मुंजाल की इस सफलता पर उनको रोजगार कार्यालय, बीकानेर में आमंत्रित कर दिनांक 25 जून 2025 को उनका साक्षात्कार लिया गया। उनकी इस सफलता के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने बताया कि—

‘बी. कॉम., एम. कॉम और एल.एल.बी. करने के उपरान्त मैं रोजगार की तलाश में था। इसी दौरान मुझे स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रोजगार कार्यालय, बीकानेर द्वारा रोजगार सहायता शिविर लगाया जा रहा है। मैं समय पर वहां पहुंचा और जो संस्थान भर्ती करने आये हुए थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। कुछ संस्थानों के बारे में मैंने इंटरनेट से हाथोहाथ जानकारी जुटाई ताकि साक्षात्कार देते समय मेरा आत्मविश्वास मजबूत रहे। बैंकिंग सेक्टर में मेरा पूर्व से ही थोड़ा अनुभव भी था। इस तरह मैंने दो-तीन संस्थानों में साक्षात्कार दिये और सभी ने मेरा प्रारम्भिक चयन कर लिया। अपनी रुचि और वेतन के अनुसार मैंने आकाश इंस्टीट्यूट, बीकानेर में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यग्रहण किया।’

प्रखर ने बताया कि ‘रोजगार शिविर के माध्यम से यह मेरा प्रथम प्रयास था। शिविर में भाग लेने पर मुझे काफी अच्छा अनुभव मिला। विभिन्न संस्थानों के अनुभवी प्रतिनिधियों से फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। मुंजाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले इस तरह के रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से जरूरतमन्द बेरोजगार आशार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अन्य बेरोजगार अभ्यर्थियों को सुझाव देते हुए कहा कि अधिकाधिक संख्या में सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को इन रोजगार सहायता शिविरों में भाग लेना चाहिए। शिविर में जाते समय अपना रिज्यूमे एवं बायोडेटा प्रोफेशनल ढंग से तैयार करके जाएं। जिस संस्थान में भी आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी इंटरनेट से ज्ञात करके साक्षात्कार दें और आपका ड्रेस कौड भी अच्छा होना चाहिए ताकि नियोजक पर आपका अच्छा प्रभाव पड़े। केवल वेतन की ओर नहीं देखें बल्कि यह देखें कि कम्पनी कितनी प्रतिष्ठित है अथवा जॉब का प्रकार आपकी रुचि के अनुसार है अथवा नहीं। पहली सीढ़ी तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद यदि अच्छी कम्पनी में आप कम वेतन पर भी शुरूवात करते हैं तो मेहनत के साथ कार्य करते रहने पर कम्पनी आपको प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी भी करती है।

सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों की तुलना करते हुए प्रखर ने कहा कि दोनों में अपने-अपने फायदे हैं। यदि मेहनत और लगन से कार्य किया जाये तो वर्तमान में निजी कम्पनियों में भी अच्छे वेतन और पदोन्नतियों के अवसर मिल रहे हैं। सरकारी नौकरियों की सीमितता के कारण हर कोई व्यक्ति तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, इसलिए युवाओं को चाहिये कि वे इन रोजगार शिविरों में गम्भीरता से भाग लें और अच्छी तैयारी के साथ जाएं। जिस तरह आज मैं अपने प्रथम प्रयास में ही 6 लाख 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष के वेतन पैकेज पर लगा हूँ, आशा करता हूँ कि वे इससे भी अधिक वेतन और अच्छे पद पर नियोजित हो सकते हैं। राज्य के रोजगार विभागों द्वारा इस तरह के रोजगार सहायता शिविर लगाये जाने पर मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सरकार द्वारा इस तरह के आयोजन करवाये जाते रहेंगे।

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

— संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

— संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता: सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail—adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in